रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2001/वैशाख 12, 1923
No. 277] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2001/VAISAKHA 12, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 11 अप्रैल, 2001

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के उप-नियमों में संशोधन

(ओटीसीईआई के निदेशक मंडल द्वारा 23 मार्च, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में तथा सेबी द्वारा 9 मार्च, 2001 के अपने पत्र सं. एसएमडीआरपी/पॉलिसी/सीआईआर-16/2001 के द्वारा अनुमोदन किये गये अनुसार)

का.आ. 379(अ).—ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की उप-विधि के अध्याय IX-ए के खंड 06 में उप-खंड (कक) अंतर्विष्ट करके संशोधन

06. निपटान गारंटी निधि का उपयोग

कक. किसी सदस्य द्वारा उप-विधि तथा विनियमावली में किये गये उपबंध अनुसार संव्यवहारों के समाशोधन एवं निपटान परिचालनों से उत्पन्न एक्सचेंज के समाशोधन गृह के दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी निपटान गारंटी निधि तथा अन्य धनराशियों का उस सीमा तक उपयोग करेगा जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये गये निबंधनों एवं शर्तों के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक होंगी।

उपयोग के लिए मानदंड

निपटान गारंटी निधि का उपयोग निम्नलिखित शर्त के अधीन सदस्यों द्वारा किसी निपटान में निधि दायित्वों को पूरा न किये जाने/आंशिक रूप से पूरा किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए संबंधित सदस्य को चूककर्ता घोषित करने के पहले किया जाएगा :

1. उन मामलों में जहां कमी की राशि निर्दिष्ट आधार न्यूनतम पूंजी (बीएमसी) से अधिक होगी वहाँ सदस्य की व्यापार सुविधा वापस ले ली जाएगी और सदस्य को देय पे-आउट प्रतिभूतियां रोक ली जाएंगी उन मामलों में जहाँ कमी की राशि बीएमसी के 20% से अधिक होगी और तीन महीनों की अवधि में छः अवसरों पर बीएमसी से कम है, सदस्य को व्यापार सुविधा वापस ले ली जाएगी तथा सदस्य को देय प्रतिभूतियां रोक ली जाएंगी। कमी की पूरी राशि की वसूली हो जाने पर सदस्य को नीचे तालिका में दर्शाये गये अनुसार घटायी गयी सकल सीमा (एक्सपोजर) के साथ व्यापार करने की अनुमति है:

संचयी निधि कमी	अनुमत एक्सपोजर सीमा (चालू एक्सपोजर सीमा का %)
बीएमसी के 20%—बीएमसी के 50%	80%
बीएमसी के 50%—बीएमसी के 100%	60%

यह घटाया हुआ सकल एक्सपोजर स्तर चार निपटानों के लिए बनाया गया है यदि अगले चार निपटानों में संचयी निधि कमी बीएमसी के 20% से कम है तो एक्सपोजर सीमाएं पुनः बहाल कर दी जाएंगी यदि सदस्य अपने समाशोधन खाते में 'निधि कमी संपार्श्विक' के अनुसार अपनी संचयी निधि कमियों के समतुल्य नकद जमाराशि उपलब्ध कराता है तो एक्सपोजर सीमा बहाल कर दी जाए। ऐसी जमा राशि 4 निपटानों की अवधि के लिए एक्सचेंज के पास रखी जाएगी और अगले 4 लगातार निपटानों में सदस्य के लिए आगे कोई निधि कमी रिपोर्ट न किये जाने पर ही निर्मुक्त की जाएगी। 'निधि कमी संपार्श्विक' के रूप में जमा की गयी इस राशि पर न तो कोई एक्सपोजर लाभ और न ही कोई ब्याज भुगतान दिया जाएगा। सदस्य 'निधि कमी संपार्श्विक' को नकद, एफडीआर अथवा बैंक गारंटी के जरिए जमा कर सकते हैं।

2. बकाया राशि पर न्यूनतम 0.09% प्रतिदिन की दर से दाण्डिक ब्याज लगेगी.

[सं. 1056/01/सीपी/एल एंड एस/039]

कृते ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

प्रवीण मोहनोत, प्रबंध निदेशक

नोट : ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की मूल अधिसूचना भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), नई दिल्ली, सोमवार, दि. 26 अक्तूबर, 1998/कार्तिक 4, 1920 को जारी।

OTC EXCHANGE OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th April, 2001

AMENDMENTS TO THE BYE-LAWS OF OTC EXCHANGE OF INDIA

(As approved by the Board of OTCEI at its meeting held on March 23, 2001 and by SEBI vide its letter No. SMDRP/POLICY/CIR-16/2001 dated March 9, 2001).

S.O. 379(E).—Amendments to Clause 06 of Chapter IX-A of Bye-Laws of OTC Exchange of India by insertion of sub-clause (aa).

06. UTILISATION OF THE SETTLEMENT GUARANTEE FUND

aa. In the event a member fails to meet obligations to the Clearing House of the Exchange arising out of clearing and settlement operations of such deals as provided in the Bye-laws and Regulations, the relevant authority may utilize the Settlement Guarantee Fund and other monies to the extent necessary to fulfil the obligations under such terms and conditions as the relevant authority may specify from time to time.

NORMS FOR UTILISATION

The Settlement Guarantee Fund may be utilised for meeting shortages arising out of non-fulfilment/partial fulfilment of funds obligations by the Members in a settlement before declaring the concerned member defaulter subject to the following :

1. In cases where amount shortages are in excess of the base minimum capital (BMC) prescribed, the trading facility of the member is withdrawn and the securities pay-out due to the member is withheld. In cases where the amount of shortages exceed 20% of the BMC and is less than the BMC on six occasions within a period of three months, the trading facility of the member is withdrawn and the securities pay-out due to the member is withheld. On recovery of the complete shortages, the member is permitted to trade with a reduced gross exposure as mentioned in the table below :

Cumulative Funds Shortage	Exposure Limit Allowed (% of current exposure limit)
20% of BMC—50% of BMC	80%
50% of BMC—100% of BMC	60%

This reduced gross exposure level is maintained for a period of four settlement. If the cumulative funds shortages for the next 4 settlements is less than 20% of BMC, the exposure limits shall be restored. The exposure limit may be restored if a member provides a cash deposit equivalent to his cumulative funds shortages as the 'funds shortage collateral' in his clearing account. Such deposit will be kept with the Exchange for a period of 4 settlements and will be released only if no further funds shortages are reported for the member in next 4 consecutive settlements. There is no exposure benefit nor any interest payment on this amount so deposited as 'Funds shortage collateral'. Members may deposit the 'funds shortage collaterals' by way of cash, FDR or bank Guarantee.

2. The outstanding amount would carry a penal interest of not less than 0.09% per day.

[No. 1056/01/CP/L&S/039]

For OTC Exchange of India

PRAVEEN MOHNOT, Managing Director

Note : Principle notification by OTC Exchange of India in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) at New Delhi—Issue dated Monday, October 26, 1998/Kartika 4, 1920.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.